

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

**Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN from the
052- KISHANPOLE Assembly Constituency.**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRI AMIN KAGZI

B-10, NAWALGARH HOUSE S.C. ROAD JAIPUR, sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in the House from the above constituency.

Place : Jaipur

Date : 03.12.2023

(Dr. Rakesh Kumar M.L.A.)
Returning Officer
052-Kishanpole
Sub Divisional Officer and
Sub Divisional Magistrate, Jaipur

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिये)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

052-किशनपोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री अमीन कागजी

बी- 10, नवलगढ़ हाउस, संसार चन्द्र रोड जयपुर, जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- जयपुर

दिनांक :- 03.12.2023

रिटनिंग ऑफिसर
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 052, किशनपोल
उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर